



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 आश्विन 1942 (श०)
(सं० पटना 725) पटना, सोमवार, 5 अक्टूबर 2020

गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

29 सितम्बर 2020

सं० 2/आ०-70-19/2020-6475/गृ०आ०—श्री मिश्रा सोमेश कुमार शिवकुमार, परिवीक्ष्यमान पुलिस उपाधीक्षक (बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर) को अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता, व्याभिचारी प्रवृत्ति एवं नैतिक अधमता के आरोप में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

02. निलंबन की अवधि में श्री मिश्रा सोमेश कुमार शिवकुमार, का मुख्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय, शाहाबाद क्षेत्र, डिहरी रहेगा।
03. निलंबन की अवधि में श्री मिश्रा सोमेश कुमार शिवकुमार को उक्त नियमावली के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
04. निलंबन की अवधि में श्री मिश्रा सोमेश कुमार शिवकुमार सक्षम पदाधिकारी के आदेश के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।
05. श्री मिश्रा सोमेश कुमार शिवकुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अलग से संचालित की जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ईश्वर चन्द्र सिन्हा,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 725-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>